

क्रमांक- 28

/घारा- 143 ज0वि0अधि0

श्रीमती गुजराती देवी शिक्षा सेवा समिति

बनाम

ग्रामपंचायत

ग्राम गदनपुर हिच्छनपट्टी परगना व तहसील सगड़ी

जिला आजमगढ़।

निर्णय

प्रस्तुत श्रीमती गुजराती देवी शिक्षा सेवा समिति ग्राम गदनपुर हिच्छनपट्टी परगना व तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़ के नाम पर तहसीलदार सगड़ी से मांगी गयी जास आख्या दिनांक 12-06-2015 के अधार पर रजिस्ट्री किया गया। उन्होंने अपनी आख्या में यह उल्लेख किया है कि गदनपुर, हिच्छनपट्टी परगना व तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़ में स्थित माटा स0 351मि0/0-322हे0 मालगुजारी रू0-1-20 श्रीमती गुजराती देवी शिक्षा सेवा समिति गदनपुर हिच्छनपट्टी द्वारा प्रबन्धक देवनाथ पुत्र रामशूरत निवासी ग्राम के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त आराजी नकशे के भूमि में कमरा फलज बनाया गया है तथा चारो तरफ से बैरकेटिंग करके घेरा बन्दी किया गया है। उक्त आराजी नकशे 351मि0/0-322हे0 में कृषि कार्य नहीं किया जाता है। अकंपिक भूमि घोषित करके आख्या-घारा- 143 के नियम 135 के प्रारूप व नजरी नक्शा व खसरा साथ प्रस्तुत की गयी है।

प्रार्थी को सूचना व पत्रावली व उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से तहसीलदार सगड़ी की आख्या दिनांक 12-06-2015 स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

तहसीलदार सगड़ी की आख्या दिनांक 12-06-2015 स्वीकार की जाती है। ग्राम गदनपुर हिच्छनपट्टी परगना व तहसील सगड़ी में स्थित 351मि0/0-322हे0 मालगुजारी रू0-1-20 अकंपिक करहे हुए अकंपिक भूमि घोषित की जाती है। आदेश की एकप्रति उपनिबंधक सगड़ी के उहाँ भेजी जाय परवाना अमलदरामद जारी हो। बाक आवश्यक कार्यजही बकायती बाखिल समझर गी जाय।

दिनांक 16-06-2015

नकक मरी-बाण शी

शब्द - 215-

(अनिल कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी-सगड़ी
आजमगढ़।

दिनांक

10-6-15

क्रमांक	29-2
दिनांक	18-6-15
विवरण	18-6-15
...	...